भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/29/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार,

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 26 सितंबर, 2024

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

<u>मामला सं. एडीडी (ओआई) - 27/2024</u>

विषय: चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ (एनबीआर) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. **<u>फा. सं. 6/29/2024-डीजीटीआर</u>**: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान रखते हुए एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और रूस (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 25 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के बीच एसीएन मात्रा के साथ बेल रूप में एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ (एनबीआर) जिसमें विशेष रूप से कार्बोक्सिलेटेड, हाइड्रोजनेटेड और ऑयल एक्सटेंडेट एनबीआर बेल शामिल नहीं हैं (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद 25 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के बीच एसीएन मात्रा (बाउंड एक्रिलोनिट्राइल %) के साथ बेल रूप में एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ (एनबीआर) जिसमें विशेष रूप से कार्बोक्सिलेटेड, हाइड्रोजनेटेड और ऑयल एक्सटेंडेट (एनबीआर) है, बेल शामिल नहीं हैं।

4. विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 40025900 के अंतर्गत आयातित किया जाता है।

5. वर्तमान जांच के लिए पक्षकार इस जांच की शुरूआत की सूचना की प्राप्ति के परिचालन के 30 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित पीसीएन (औचित्य सहित) संबंधी अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

6. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत उन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे उत्पाद के प्रथमदृष्ट्या समान वस्तु माना गया है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

7. यह आवेदन एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में इस उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है। यह बताया गया है कि आवेदक ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

8. प्रदत्त सूचना के आधार पर देखा गया है कि नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर आवेदक घरेलू उद्योग है और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

9 वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और रूस है।

ड. <u>जांच की अवधि</u>

10. इस जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि शामिल है।

च. <u>कथित पाटन के लिए आधार</u>

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है और यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश देना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में मौजूद है। जब तक चीन जन. गण. से उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित करना चाहिए।

12. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य की पद्धति पर जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और रूस के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने दावा किया है कि उसके पास संबद्ध देशों में बिक्री कीमत के किसी साक्ष्य तक पहुंच नहीं है। इसलिए आवेदक ने उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर सामान्य मूल्य का प्रस्ताव किया है। आवेदक द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य की पद्धति पर जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

14. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा व्यय के लिए समायोजनों का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करती है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में संबद्ध देश के विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

16. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। आवेदक ने मात्रात्मक क्षति का दावा किया है। बढ़े हुए आयातों के प्रभाव का दावा केवल कीमतों पर किया गया है। संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक रही है। पाटित आयातों द्वारा हुए कीमत ह्रास और न्यूनीकरण ने आवेदक को उसकी लागत में बदलाव के अनुसार कीमत में बदलाव करने से रोका है। यह दावा किया गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आवेदक की लाभप्रदता बुरी तरह प्रभावित हुई है। संबद्ध

देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

ज. <u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

18. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd19-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in तथा उनकी प्रति adv11-dgtr@gov.in और उनकी प्रति adv12-dgtr@gov.in. को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

20. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार और भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना

इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निदेश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना तथा आगे की प्रक्रिया की जानकारी के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. <u>समय सीमा</u>

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय अंश को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को हस्तांतरित किया जाएगा, से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd19-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और एक प्रति adv12-dgtr@gov.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

26. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. **<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>**

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

29. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

30. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

31. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, नियमावली 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

32. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

33. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे के लिए रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

34. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

35. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल कर दें।

ढ. <u>असहयोग</u>

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी